संख्या-61/2016-2144ई-2/तेरह-2016-76/2016

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 05 अक्टूबर,2016

विषय:-मेसर्स रमन एग्रो एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, बी-9, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चन्दौली की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता में वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-44/दस-शीरा-140सी(198)/वा0शी0उ0, दिनांक 18 सितम्बर,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 18 सितम्बर,2016 में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त मेसर्स रमन एग्रो एक्सपोर्ट प्रा0 लि0, बी-9, औद्योगिक क्षेत्र, रामनगर, चन्दौली की वार्षिक शीरा उपभोग क्षमता 93,600 कुण्टल निर्धारित किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।